



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1595]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2018/ वैशाख 7, 1940

No. 1595]

NEW DELHI, FRIDAY 27, 2018/ VAISAKHA 7, 1940

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

का.आ. 1774(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य, राज्य सभा को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 226(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"12. श्री प्रदीप टम्टा, संसद सदस्य (राज्य सभा) - सदस्य; "

[फा.सं. 1(19)/2013-एनबीएमएसएमई]

राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (II) में का.आ. संख्या 226(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना के द्वारा संशोधित की गई थी:

1. का.आ. 1955, तारीख 24 सितंबर, 2016;
2. का.आ. 34(अ), तारीख 5 जनवरी, 2017 एवं
3. का.आ. 1274(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2017 ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2018

S.O. 1774(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby appoints Shri Pradeep Tamta, Member of Parliament, Council of States as member of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, and for that purpose, makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 226 (E), dated the 23rd January, 2015 namely:-

In the said notification, for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"12. Shri Pradeep Tamta, Member of Parliament (Council of States) – Member;"

[F.No. 1(19)/2013-NBMSME]

RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy. & Development Commissioner

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) *vide* number S.O.226(E), dated the 23rd January, 2015 and subsequently amended *vide* following notifications:

1. S.O. 1955, dated the 24th September, 2016;
2. S.O. 34 (E), dated the 5th January, 2017 and
3. S.O. 1274 (E), dated the 24th April, 2017.